निर्णय दिनांक:— 17/12/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 148/2015

1. भोलाराम } पुत्रान रामकुमार
2. बलबीर } पुत्रान रामकुमार
3. तारावती } पुत्रीयान रामकुमार
4. सन्तोष, कमला } पुत्रीयान रामकुमार
5. चन्द्रपति पत्नि बहादुरमल

} जाति अहीर नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं

..........वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र चोखाराम
2. धर्मपाल पुत्र रामेश्वर
3. बृजलाल पुत्र रेखाराम
4. सुनील पत्नि उमेद
5. कर्णसिंह पुत्र उमेद सिंह } जाति अहीर, निवासी रसूलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
6. गीता पुत्री उमेद पत्नि संजय जाति अहीर नि. रसूलपुर हाल आबाद बाबरिया तह. बानसुर, अलवर राज.
7. कृष्ण
8. विरेन्द्र } पुत्रान दुलीचंद नवीरा रेखा जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं।
9. नरेश
10. रामरती पुत्री दुलीचन्द पत्नि जसवंत जाति अहीर नि. रसूलपुर तह. बुहाना हाल आबाद शहरपुर तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
11. रंगबरसी पत्नि हनुमान
12. राकेश
13. राजेन्द्र } पुत्रान हनुमान नवीरा रेखाराम } जाति अहीर रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनू
14. रीना पुत्री हनुमान पत्नि प्रकाश जाति अहीर नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, हाल आबाद बाका की ढाणी तह. नीमकाथाना, सीकर,राज.
15. रेशमी पत्नि हजारी
16. धर्मवीर
17. सीताराम } पुत्रान हजारी नवीरा रेखाराम जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं
18. हीरालाल
19. पींकी पत्नि सत्यवीर
20. मनीष पुत्र सत्यवीर
21. निकिता पुत्री सत्यवीर नवीरा हजारी पुत्र रेखाराम नाबालिग जरिए संरक्षक माता पिंकी पत्नि सत्यवीर जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

22. रणधीर
23. राजेन्द्र } पुत्रान बहादुरमल नवीरा रामकुमार जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
24. औमप्रकाश
25. झुथाराम
26. लालचन्द } पुत्रान रामकुमार जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
27. सत्यवीर
28. विरेन्द्र
29. कृष्णा पुत्री रामकुमार पत्नि श्रीचन्द जाति अहीर, नि. रसुलपुर हाल आबाद भावानीपुरा तह. बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज.
30. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होलडर तहसीलदार बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 198/2015

1. रामेश्वर पुत्र चोखाराम
2. धर्मपाल पुत्र रामेश्वर } जाति अहीर नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

..........वादीगण

बनाम

1. चन्द्रपति पत्नी बहादुरमल
2. रणधीर पुत्र बहादुरमल
3. राजेन्द्र पुत्र बहादुरमल
4. भोलाराम पुत्र रामकुमार
5. बलबीर पुत्र रामकुमार
6. तारावती पुत्री रामकुमार
7. सन्तोष पुत्री रामकुमार
8. कमला पुत्री रामकुमार
9. कृष्ण
10. विरेन्द्र } पुत्रान दुलीचंद नवासा रामकुमार जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं।
11. नरेश
12. रामरती पुत्री दुलीचन्द पत्नि जसवंत जाति अहीर नि. रसूलपुर तह. बुहाना हाल आबाद शहरपुर तह. नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
13. सुनील पत्नि उमेद
14. कर्णसिंह पुत्र उमेद सिंह जाति अहीर, निवासी रसूलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

15. गीता पुत्री उमेद पत्नि संजय जाति अहीर नि. रसूलपुर हाल आबाद बाबरिया तह. बानसुर, अलवर राज.
16. रेशमी पत्नि हजारी
17. धर्मवीर
18. हीरालाल पुत्रान हजारी नवीरा रेखाराम जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं
19. सीताराम
20. पींकी पत्नि सत्यवीर
21. मनीष पुत्र सत्यवीर
22. निकिता पुत्री सत्यवीर नवीरा हजारी पुत्र रेखाराम नाबालिग जरिए संरक्षक माता पिंकी पत्नि सत्यवीर जाति अहीर, नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
23. बृजलाल पुत्र रेखाराम
24. रंगबरसी पत्नि हनुमान
25. राकेश
26. राजेन्द्र पुत्रान हनुमान नवीरा रेखाराम
27. रीना पुत्री हनुमान पत्नि प्रकाश जाति अहीर नि. रसुलपुर, तह. बुहाना, हाल आबाद बाका की ढाणी तह. नीमकाथाना, सीकर,राज.
28. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होलडर तहसीलदार बुहाना।

खाता विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

दोनो वाद समान विषय वस्तु, समान पक्षकार, के मध्य समान अनुतोष को लेकर है। पत्रावली 198/2015 को 148/2015 के साथ समेकित की गई है। अतः इस आदेश द्वारा उपर्युक्त दोनों दावो का निर्णय किया जा रहा है। एक–एक प्रति दोनो पत्रावलीयों में रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :– 17/12/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद 148/2015

(1). वादीगण का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम रसुलपूर तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1.07 है., ख. नं. 413

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा 0.05 है., ख. नं. 505 रकबा 0.34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा 0.24 है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 566 रकबा 0.21 है., ख. नं. 570 रकबा 0.20 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.17 है., कुल किता 23 कुल रकबा 7.63 है. में वादीगण सं. 1 लगायत 5 के पिता तथा वादीया सं. 6 एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार का 1/4 हिस्सा है तथा रामकुमार की मृत्यु के बाद वादी सं. 1 व 2 का 1/12 हिस्सा, वादीया सं. 3 लगायत 5 का 1/8 हिस्सा तथा वादीया सं. 6 एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 का 1/24 हिस्सा है इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 संयुक्त रूप से अपने 1/4 हिस्सा पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा है जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 ने ख. नं. 22, 566, व 570 कितर 3 रकबा 0.80 है. 1/4 हिस्सा का बेचान प्रतिवादी सं. 2 को कर दिया है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं. 3 लगायत 21 के हकपूवाधिकारी रेखाराम का 1/2 हिस्सा था । उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 3 का 1/8, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 10 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है। खातेदार बसन्ति पत्नि दुलीचन्द की मृत्यु हो चुकी है, प्रतिवादी सं. 11 लगायत 14 का 1/8 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 15 लगायत 21 का जो हजारी के वारिसान है 1/8 हिस्सा है। उनमें प्रतिवादी सं. 15 का 1/40, प्रतिवादी सं. 19 लगायत 21 का 1/40, तथा प्रतिवादी सं. 16 से 18 जिनका 3/40 हिस्सा था उसमें से 0.33 है. रकबा उन्होने बेचान कर दिया है। अब उनका 0.2422 है. रकबा शेष है जिसके वे खातेदार है। मौके पर भूमि का बाहमी बंटवारा हो रखा है। ख. नं. 557 मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा में है। तथा ख. नं. 555 प्रतिवादी सं. 1 के पास व ख. नं. 556 वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 के कब्जा में है।

2. वाद वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 अपने हिस्सा अनुसार 1/4 भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादीगण अपनी भूमि में सुधार कार्य करना चाहते है। जिसकी सीमांओं को लेकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के साथ झगड़ा एवं विवाद करता है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाने हेतु आग्रह किया तो उन्होने स्पष्ट इनकार कर दिया। जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तो सम्पूर्ण भूमि पर ही कब्जा करने व मारपीट कर बेदखल करने की धमकी दी है एवं पूर्व में झगड़ा भी कर चुके है। जबकि वादीगण अपनी भूमि पर काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

3. वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार ने गत ख. नं. 464 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 8 बिस्वा रकबा जिसकी मेट्रीक प्रणाली में 0.10 है. रकबा बनता है का बेचान दिनांक 19.05.1979 को प्रतिवादी सं. 24 लगायत 29 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार पुत्र जीतराम को कर दिया तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार ने दिनांक 23.08.1994 को हाल ख. नं. 557 में से अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 2/3 अर्थात 1/6 हिस्सा का रकबा अर्थात 0.04

है. रकबा का बेचान जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 24 लगायत 29 के हकपूर्वाधिकारी को कर दिया था। लेकिन बाद में प्रति. सं. 1 ने इस 0.04 है. रकबा अर्थात 1/6 हिस्सा में से आधी अर्थात 0.02 है. रकबा के विक्रय मुल्य की राशी 4200/– रूपये वादीगण से प्राप्त कर लिए अर्थात समझौता में अपने हिस्से का 0.02 है. रकबा वादीगण को दे दिया अर्थात यह समझौता किया कि जो रकबा प्रतिवादी सं. 24 से 29 को दिनांक 23.08.1994 को बेचान किया था। वह वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त रूप से बेची जानी स्वीकार की गई इस बाबत एक लिखावट भी लिखी गई। एवं प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी भी की जो वाद पत्र के साथ संलग्न है इस प्रकार वादीगण जो अपने 1/4 हिस्से में से 0.02 है. रकबा बेचान किया है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने 0.02 है. रकबा का बेचान कर दिया है शेष रकबा का वे खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा जब तक इसका विभाजन नहीं हो प्रतिवादी सं. 1 इसमें कोई निर्माण नहीं करे इस हेतु उसे पाबन्ध करवाने के अधिकारी है।

4. वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त होने से वादीगण को अपने हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने एवं सीमांए कायम रखने तथा ऋण आदि लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण अपने हिस्सा की भूमि का खाता अलग से विभाजित करवाना चाहते है जिसके वादीगण अधिकारी है।
5. वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से तथा प्रतिवादी सं. 1 इस भूमि के बिना विभाजन के इसके विशिष्ट भाग पर निर्माण पर कब्जा करना चाहता है। जिससे वादीगण को ऐसी अपुर्तनिय क्षति है। जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
6. दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि की खातेदारी संयुक्त रहने तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सीमाओं का विवाद करने तथा विभाजन से मना कर देने से एवं बिना विभाजन के इसके विशिष्ट भाग पर निर्माण करने की धमकी देने से पैदा हुआ है। इसलिए वादीगण द्वारा यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद है।

वादीगण ने वादपत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क). वाके ग्राम रसुलपुर तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1.07 है., ख. नं. 413 रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा [illegible] है., ख. नं. 505 रकबा 0.34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा [illegible] है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 566 रकबा 0.21 है., ख. नं. 570 रकबा 0.20 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.17 है., कुल किता 23 कुल रकबा 7.63 है. के 1/4 हिस्सा में आने वाले कुल रकबा 1.91 है. में से 0.12 है. रकबा का प्रतिवादी सं. 24 लगायत 29 को खातेदार घोषित कर शेष रहे 1.79 है. रकबा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 का खाता विभाजित किए जाने की कृपा करे। तथा प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्सा में से 0.02 है. रकबा कम कर उसके हिस्सा में आने वाले 1.89 है. रकबा खाता विभाजित किए जाने की कृपा करे। उक्त 0.02 है. रकबा का खातेदार प्रतिवादी सं. 24 से 29 को घोषित किए जाने की कृपा करे। एवं प्रतिवादी सं. 24 लगायत 29 के 0.14 है. रकबा उनके नाम दर्ज किए जाने की कृपा करे। वादी सं. 1 व 2 का 1/12 हिस्सा, वादीया सं. 3 से 5 का 1/8 हिस्सा तथा वादीया सं. 6 एवं प्रतिवाी सं. 22 व 23 का 1/24 हिस्सा का अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा का खाता प्रतिवादीगण से अलग कर लगान भी अलहेदा कायम किए जाने की कृपा करे। तथा विभाजन में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 22 व 23 के हिस्से में आने वाले हिस्सा अर्थात 1.79 है. रकबा पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 का स्वतन्त्र रूप से कब्जा भी विभाजन में आने वाले रकबा पर दिलवाया जाने की कृपा करे।

(ख). प्रतिवादी सं. 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि ख. नं. 570 व ख नं. 557 के किसी भी भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे। विशिष्ट भाग पर निर्माण कर कब्जा नहीं करे, ना ही निर्माण सामग्री डाले तथा वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा नहीं डाले तथा प्रतिवादी सं. 30 को भी जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किसा जावे की मौके की यथा स्थिती बनाए रखे।

(2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गयी। प्रतिवादी स0 1 व 2 की की ओर से श्री दयाराम पटेल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश कियां। शेष प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तालिम अनुपस्थित रहने पर उनके विरूध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दावा रहा कि– वाद पत्र का खण्ड सं. 1 स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 का वाद वर्णित भूमि हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1.07 है., ख. नं. 413 रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा 0.05 है., ख. नं. 505 रकबा 0.34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा 0.24 है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 566 रकबा 0.21 है., ख. नं. 570 रकबा 0.20 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.17 है., कुल किता 23 कुल रकबा 7.63 है. में 1/4 हिस्सा है। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि ख. नं. 22, 566, 570 कुल [illegible] रकबा 0.80 है. में से अपने 1/4 हिस्से की 0.20 है. भूमि [illegible] 2 को [illegible] कर दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने [illegible] वाद पत्र के खण्ड नं. 2 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 अपने 1/4 हिस्से पर काबिज होना स्वीकार है। एवं प्रतिवादीगण [illegible] अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। शेष अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तथा न हीं कभी वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खाता विभाजन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

लिए कहा। तथा न हीं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण को कोई धमकी दी। यदि वादीगण विवादित भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपत्ती नहीं प्रतिवादी सं. 1 व 2 भी अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए सहमत है। जो मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कर दिया जावे। इसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपत्ती नहीं है।

वाद पत्र के खण्ड नं. 3 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 24 से 29 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार पुत्र जीतराम उर्फ जीराम को बेचान करना स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण व इनके हकपूर्वाधिकारी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया व न हीं उनसे वाद में दर्ज राशी 4200/— रूपयें प्राप्त की व नहीं 0.02 है. भूमि जो वादीगण ने इस खण्ड में बताई है वह वादीगण को दी। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार व प्रतिवादी सं. 1 ने संयुक्त रूप से कोई भूमि प्रतिवादी सं. 24 से 29 को बेचान नहीं की। तथा नहीं कोई लिखावट लिखी गई। तथा न हीं प्रतिवादी सं. 1 ने कभी अपने हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी की। प्रतिवादी सं. 1 ने कोई बेचान नहीं किया हे। वादीगण ने झूठें तथ्य दर्ज कर दावा पेश किया है। एवं जो लिखावट पेश करना बताई है। वह भी वादीगण ने फर्जी व कुटरचित तैयार की है। प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/4 हिस्से की भूमि को जिस प्रकार से चाह उपयोग—उपभोग करने का अधिकारी है। इसमें वादीगण को बाधा पैदा करने का व प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्ध करवाने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की रहने से वादीगण को कोई परेशानी हनी है। सभी हिस्सेदार बांहमी बंटवारे करके अपने हिस्से पर काबिज है। एवं अपने—अपने हिस्से में सुधार कार्य करते है। लेकिन इसके बावजुद भी वादीगण खाता विभाजन करवाना चाहते है। तो विवादित भूमि का मौके पर कब्जे काश्त के अुनसार खाता विभाजन कर दिया जावे इसके लिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 भी सहमत है। विवादित भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारे करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया था तथा बांहमी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/4 हिस्से की भूमि काबिज काश्त है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया था। तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि— वाके ग्राम रसुलपुर तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1.07 है., ख. नं. 413 रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा 0.05 है., ख. नं. 505 रकबा 0.34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा 0.24 है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.1[illegible] कुल किता 20 कुल रकबा 6.83 है. में प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से की [illegible] भूमि एवं खसरा नम्बर 22, 566, 570 कुल किता 3 कुल रकबा 0.80 है. में प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से की 0.20 है. भूमि का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन कर दिया जावे। इसके लिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 198/2015

(3). वादीगण का वादपत्र रहा कि:–

वाके ग्राम रसुलपुर के हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1.07 है., ख. नं. 413 रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा 0.05 है., ख. नं. 505 रकबा 0.34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा 0.24 है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 566 रकबा 0.21 है., ख. नं. 570 रकबा 0.20 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.17 है., कुल किता 23 कुल रकबा 7.63 है. में वादीगण का 1/4 हिस्सा है। जिस पर बाहमी बंटवारे अनुसार वादी सं. 1 शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा वादी सं. 1 ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि ख. नं. 22, 566, 570 कुल किता 3 कुल रकबा 0.80 है. में से अपने 1/4 हिस्से की 0.20 है. भूमि का बेचान वादी सं. 2 को कर दिया था। इस प्रकार वादी सं. 1 व 2 अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 22 व 23 अपने 1/4 हिस्से पर काबिज होना स्वीकार है। एवं प्रतिवादीगण भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। शेष अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तथा न हीं कभी वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खाता विभाजन के लिए कहा। तथा न हीं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण को कोई धमकी दी। यदि वादीगण विवादित भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपत्ती नहीं प्रतिवादी सं. 1 व 2 भी अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए सहमत है। जो मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कर दिया जावे। इसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपत्ती नहीं है। पक्षकारान के हिस्से जमाबंदी में दर्ज अनुसार है। खाता सामलाती है। विभाजन नहीं होने से वादीगण को परेशानी है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादीगण के साथ झगड़ा करते है। फोजदारी मुकदमा चल रहा है। बंटवारा नहीं हो जाए तब तक खसरा नम्बर 556, 227, 429 में कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने बाबत प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे एवं खाता विभाजन किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(4). दावा दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण की तामिल जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा रहा कि– **(अ).** वाद वर्णित भूमि कुल किता 23 रकबा 7.63 है. संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं जिसमें औमप्रकाश, झुथाराम, लालचन्द, सत्यवीर, विरेन्द्र पुत्रान रामकु[illegible] भूमि खरीद कर खातेदार है। जिन्हे पक्षकार नही बनाया है। **(ब).** प्रतिवादी [illegible] 8 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार ने गत ख. नं. 464 रकबा 2 बी[illegible] जिसकी मैट्रीक प्रणाली में 0.10 है. रकबा बनता है [illegible].1979 को रामकुमार पुत्र जीतराम को कर दिया तथा दिनांक 23.08.1994 को ह[illegible] ख. नं. 557 में से अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 2/3 अर्थात 1/6 हिस्सा का रकबा अर्थात 0.04 है. रकबा का बेचान जरिए पंजिकृत विकय पत्र रामकुमार पुत्र जीतराम को कर दिया था। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

बाद में वादी सं. 1 ने इस 0.04 है. रकबा अर्थात 1/6 हिस्सा में से आधी अर्थात 0.02 है. रकबा के विकय मुल्य की राशी 4200/– रूपये प्रतिवादीगण 1 से 8 के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार से प्राप्त कर लिए अर्थात समझौता में अपने हिस्से का 0.02 है. रकबा प्रतिवादीगण को दे दिया अर्थात यह समझौता किया कि जो रकबा रामकुमार पुत्र जीतराम को दिनांक 23.08.1994 को बेचान किया था। वह वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रामकुमार व वादी सं. 1 की संयुक्त रूप से बेची जानी स्वीकार की गई इस बाबत एक लिखावट भी लिखी गई। एवं वादी सं. 1 ने अपने हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी भी की जो वाद पत्र के साथ संलग्न है इस प्रकार प्रतिवादीगण जो अपने 1/4 हिस्से में से 0.02 है. रकबा बेचान किया है तथा वादी सं. 1 ने 0.02 है. रकबा का बेचान कर दिया है शेष रकबा का वे खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा जब तक इसका विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादी सं. 1 व 2 इसमें कोई निर्माण नहीं करे इस हेतु उसे पाबन्ध करवाने के अधिकारी है। **(स)**. वादीगण व उनके परिवार के पुरूष व महिलाए अपराधिक प्रवृति के है। जो जबरन में रास्ते की भूमि व जवाबदाताओं की निर्माण शुद्धा व परिवारिक समझोते में आई भूमि पर अवरोध, कब्जा व निर्माण करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। जहॉ तक बाहमी बंटवारे का प्रश्न है खसरा नम्बर 555 रकबा 0.24 है. वादीगण, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.24 है. जवाबदाता, खसरा नम्बर 557 रामकुमार व रामेश्वर के आधा, आधा आया हुआ है। **(द)**. वाद वर्णित भूमि बाबत जवाबदाताओं ने एक दावा 148/2015 भोलाराम बनाम रामेश्वर खाता विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। यह पश्चातवर्ती वाद स्थगित या समेकित किए जाने योग्य है। (य). वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 के बाहमी बंटवारे की भूमि खसरा नम्बर 557, 556, में 15 फीट का प्रचलित रास्ता है। इस रास्ते के दोनों ओर मकान बने हुए है। रास्ते को अवरोध या बन्द करने का अधिकार वादीगण को नहीं है। रजिस्ट्रड विकय पत्र के केता रामकुमार पुत्र जीतराम के वारीसान को पक्षकारान नहीं बनाए जाने से दावा खारीज योग्य है।

(5). वादी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल नक्शा ट्रेस व नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, प्रस्तुत की गई।

(6). **दोनो वाद समान विषय वस्तु , विवादक, समान पक्षकारों के मध्य समान अनुतोष को लेकर होने से वाद सं. 198/2015 को 148/2015 के साथ समेकित किया गया। आगे जहॉ कही वादी प्रतिवादी लिखा जावे उसका अर्थ वाद सं. 148/2015 के पक्षकारों के अनुसार लगाया जावे।**

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(7). दावा खाता एवं लगान [illegible] 2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना क्रमांक 3061 दिनांक 03.11.2017 से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई। दिनांक 13.11.2017 को आपत्ति पर दोनो पक्षो की सहमति से पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार हेतु तहसीलदार

बुहाना लिखा गया। तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 27.08.2020 को पुनः विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

(8) **बहस सुनी गई।**

(9) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। पक्षकारान ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमति दी गई।। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके वाके ग्राम रसुलपूर तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1.07 है., ख. नं. 413 रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा 0.05 है., ख. नं. 505 रकबा 0.34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा 0.24 है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 566 रकबा 0.21 है., ख. नं. 570 रकबा 0.20 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.17 है., कुल किता 23 कुल रकबा 7.63 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/12/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–148/2015
निर्णय दिनांक :–............17/12/20

भोलाराम आदि **बनाम** रामेश्वर आदि

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से **श्री दयाराम पटेल एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17/12/20 को **जीतू कुलहरी उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः **वाके वाके ग्राम रसुलपूर तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 8 रकबा 0.23 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 22 रकबा 0.39 है., ख. नं. 78 रकबा 0.03 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 79 रकबा 1.71 है., ख. नं. 227 रकबा 1. 07 है., ख. नं. 413 रकबा 0.20 है., ख. नं. 419/10 रकबा 0.03 है., ख. नं. 424 रकबा 0.07 है., ख. नं. 475 रकबा 0.14 है., ख. नं. 492 रकबा 0.31 है., ख. नं. 501/10 रकबा 0.05 है., ख. नं. 505 रकबा 0. 34 है., ख. नं. 555 रकबा 0.24 है., ख. नं. 556 रकबा 0.24 है., ख. नं. 557 रकबा 0.25 है., ख. नं. 566 रकबा 0.21 है., ख. नं. 570 रकबा 0.20 है., ख. नं. 574 रकबा 0.23 है., ख. नं. 701 रकबा 0.33 है., ख. नं. 715 रकबा 0.70 है., ख. नं. 847 रकबा 0.25 है., ख. नं. 848 रकबा 0.24 है., एवं ख. नं. 892/22 रकबा 0.17 है., कुल किता 23 कुल रकबा 7.63 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/12/20 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.01.22 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)